3. महत्वपूर्ण ढांचागत कार्य

(महत्वपूर्ण ढांचागत कार्यों की प्रगति)

क्रम सं.	**मद**	**वर्ष के लिए लक्ष्य**	**माह के लिए प्रगति**	**संचयी प्रगति**	**कमी के लिए कारण (यदि कोई हो)**
1.	नई लाइनें	58.50 कि.मी.	शून्य	शून्य	कार्य प्रगति पर
	आमान परिवर्तन	176.44 कि.मी.	24	80.50 कि.मी.	• **80.50** कि.मी. **उदयपुर-हिम्मतनगर (208.8** कि.मी.**) आमानपरिवर्तन के भाग के रूप में रायगढ़-हिम्मतनगर (24.00** कि.मी.**)** अधिकतम 100 कि.मी.प्र.घं. की अनुमेय गति के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त हुई। इस खंड को अभी शुरू किया जाना है। • **जयपुर (छोड़कर)-रींगस (छोड़कर) (56.50किमी) खंड** अधिकतम 100 कि.मी. प्र.घं. की अनुमेय गति के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त हुई। इस खंड को अभी शुरू किया जाना है। • शेष कार्य प्रगति पर
	दोहरीकरण /तीसरी/चोथी लाइन	71.37 कि.मी.	शून्य	शून्य	कार्य प्रगति पर है
2.	विधुतीकरण	निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है			
3.	ट्रेक नवीकरण	निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है			
4.	बायो शौचालय	निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है			
5.	विकास कार्यों की स्थिति (68 स्टेशनों में से)	निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है			

7. सहमति ज्ञापन का निष्पादन

अनुलग्नक जी

वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक निष्पादन समझौता(एमओयू) का पालन					
S.N.	**मुख्य निष्पादन सूचकांक**			**माह के लिए निष्पादन**	**माह तक निष्पादन**
2.	**क्षमता में वृद्धि**	**मापन की इकाई**	**लक्ष्य**		
	(क) दोहरीकरण	कि.मी.	71.37	11.00 कि.मी. की ट्रेक जड़ाई	32.00 कि.मी. की ट्रेक जड़ाई
	(ख) रेलविधुतीकरण	कि.मी.	निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है		
	(ग) नई लाइनें	कि.मी.	58.50	1.00 कि.मी. की ट्रेक जड़ाई	1.00 कि.मी. की ट्रेक जड़ाई
	(घ) आमान परिवर्तन	कि.मी.	176.44	24.00	80.50
	(ङ) शुरू की गई निजी साइडिंग की सं.	संख्या	निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है		
	(च) शुरू की गई पीएफटी		निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है		
	(छ) मालगाड़ियों की गति में औसत बढ़ोतरी	कि.मी. प्र.घं.	निर्माण संगठन से संबंधित नहीं है		

माह की उपलब्धियां

- उदयपुर-हिम्मतनगर (208.8 कि.मी.) आमानपरिवर्तन के भाग के रूप में रायगढ़-हिम्मतनगर (24.00 कि.मी.) का दिनांक 26.05.2019 को रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया। रेल संरक्षा आयुक्त ने अपने दिनांक 31.05.2019 के पत्र द्वारा अधिकतम 100 कि.मी. प्र.घं. की अनुमेय गति पर इस खंड को यात्रियों के परिवहन हेतु खोलने के लिए अधिकृत किया।
- माह के दौरान थैय्यात हमीरा-सानू (58.50 कि.मी.) नई लाइन परियोजना मे 1.50 कि.मी. ट्रेक जड़ाई का कार्य पूरा किया गया। 66.85 कि.मी. के लक्ष्य के विरूद्ध संचयी प्रगति 1.50 कि.मी. हुई।
- उदयपुर-हिम्मतनगर आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में डूंगरपुर-रायगढ़ खंड में इस माह में 0.30 कि.मी. ट्रेक जड़ाई की गई। 70.73 कि.मी. +11.00 कि.मी. लूपलाइन के लक्ष्य के विरूद्ध संचयी प्रगति 51.80 कि.मी. हुई।
- माह के दौरान उदयपुर-हिम्मतनगर आमानपरिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में उदयपुर-खारवाचंदा खंड (32.50) कि.मी. खंड में 2 किमी लूप लाइन के ट्रेक की जड़ाई हुई। 32.50 कि.मी. लक्ष्य के विरूद्ध संचयी प्रगति 30.50 कि.मी. हुई।
- माह के दौरान अलवर-बांदीकुई (60.37 कि.मी.) दोहरीकरण के भाग के रूप में ढिगावड़ा-बांदीकुई खंड में10.00 कि.मी. ट्रेक की जड़ाई का कार्य हुआ। 33.37 कि.मी. लक्ष्य के विरूद्ध संचयी प्रगति 10.00 कि.मी. हुई है।
- माह के दौरान बांगड़ग्राम-गुड़िया (47.00 कि.मी.) दोहरीकरण के भाग के रूप में बांगड़ग्राम-सेंदड़ा खंड में 1.00 कि.मी. की ट्रेक जड़ाई हुई। 19.00 कि.मी. लक्ष्य के विरूद्ध संचयी प्रगति 4.00 कि.मी. हुई।

इस प्रकार माह के दौरान मुख्य लाइन में कुल 14.80 ट्रेक कि.मी. जड़ाई का कार्य हुआ।

- माह के दौरान 15 सीमित उँचाई के भूमिगत मार्गों का कार्य पूरा हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे बोर्ड के 185 के लक्ष्य के विरूद्ध संचयी प्रगति 18 की हुई।
- **माह के दौरान 4 मानव रहित समपार बंद किए गए।**
- माह के दौरान 3 मानवसहित समपार बंद किए गए। चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे बोर्ड के लक्ष्य 119 के विरूद्ध संचयी प्रगति 3 की हुई।
- **माह के दौरान 2,69,000 घन मी. मिट्टी का कार्य किया गया। चालू वित्त वर्ष में संचयी प्रगति 6,51,000 घन मी. की हुई।**
- **माह के दौरान 4 बड़े पुलों का कार्य पूरा हुआ है। चालू वित्त वर्ष के लिए संचयी प्रगति 8 हुई है।**
- **माह के दौरान चालू वित्तवर्ष में 12 छोटे पुलों का कार्य पूरा हुआ है। चालू वित्त वर्ष में संचयी प्रगति 24 की हुई है।**
- **वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड के लक्ष्य 6,338 मैट्रिक टन के विरूद्ध मई 2019 तक कुल 628 मैट्रिक टन स्क्रेप प्रस्तावित किया गया।**

रेलवे बोर्ड से अपेक्षित सहायता

1. जयपुर-सीकर-लुहारू-चुरू आमान परिवर्तन परियोजना के 27.85 किमी लंबे पलसाना-सीकर खंड को खोलने के लिए अधिकृत करते समय रेल संरक्षा आयुक्त / पश्चिमी सर्किल ने अपने दिनांक 01-03-2018 के अनुसार यह टिप्पणी दी कि

"रेलवे बोर्ड से यह पुष्टि प्राप्त करने के लिए जैसा कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2013/डब्ल्यू1/स्पेसी.ऑफ जीसी/ आरएनवाई-एमजेडएस दिनांक 01-07-2013 द्वारा सूचित किया गया कि भारतीय रेल पर सभी छोटी लाइन के बैंक बड़ी लाइन 25-टन एक्सल लोड के लिए बिना मिट्टी के विश्लेषण और बिना उन पर कोई मिट्टी का कार्य किए उपयुक्त है"।

दिनांक 10-09-2018 के पत्र द्वारा आयोग को यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्यमान निर्देशों के अनुसार, आमान परिवर्तन के दौरान फोरमेशन की चौड़ाई बढ़ाने के मामलें में ब्लेंकेटिंग नहीं की जानी है।

दिनांक 03-10-2018 के पत्र की गाइडलाइन सं.जीईःजी-1" के पैरा 4.3.2,4.33 तथा पैरा 4.3.2.1 को उल्लखित करते हुए रेल संरक्षा आयुक्त ने आगे यह व्यवस्था देते हुए,कि एक्सल लोड क्षमता की समीक्षा रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद मानी जाएगी,तत्काल प्रभाव से इस खंड पर 20 टन एक्सल लोड की सीमा लागू कर दी।

मामले को पहले दिनांक 27-03-2018 के पत्र तथा दिनांक 17-07-2018 के अनुस्मारक से ईडी/डब्ल्यू/आरबी को भेजा गया। निदेशक/वर्क्स-/आरबी के पत्र दिनांक 06-08-2018 के जवाब में मामले को दिनांक 06-09-2018 के पत्र से एएम/डब्ल्यू/आरबी को भी भेजा गया। दिनांक 21-08-2018 के पत्र से आरडीएसओ को भी एक संदर्भ भेजा गया। जरूरी/आवश्यक गाइडलाइन का इंतजार है।

एक विस्तृत संदर्भ दिनांक 29-10-2018 के पत्र द्वारा रेलवे बोर्ड को भी भेजा गया। बाद में रेलवे द्वारा अभ्यावेदन रेल संरक्षा आयुक्त को भेजे जाने पर 21.7 टन तक रेल परिचालन की अनुमति दे दी। हालांकि रेलवे बोर्ड से एक्सल लोड में और आगे छूट देने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। शीघ्र ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिलवाने की व्यवस्था करवाने का अनुरोध है। रेल संरक्षा आयुक्त,पश्चिम सर्किल द्वारा दिनांक 31.05.2019 के पत्र द्वारा अधिकृत करते समय रायगढ़ रोड़-हिम्मतनगर खंड (उदयपुर-हिम्मतनगर आमानपरिवर्तन परियोजना का भाग) पर भी इसी प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस खंड के लिए भी समानरूप से दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

2. मदार-दौराई बाईपास लाइन के लिए डीएफसीसीआईएल द्वारा उत्पन्न बाधाओं को हटानाः- यथा सहमत कार्यक्रम के अनुसार बाईपास लाइन के लिए डीएफसीसीआईएल द्वारा सभी बाधाओं को अक्टूबर 2017 तक हटाया जाना था। अभी तक केवल 80% बाधाओं को हटाया गया है जिसके परिणामस्वरूप मदार-दौराई बाईपास लाइन गंभीररूप से प्रभावित हो रही है। डीएफसीसीआईएल द्वारा वचनबद्धता के पूरा नहीं करने से बाईपास लाइन के लक्ष्य में देरी होना आबद्ध है।